

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक (कॉलम 4 में वर्णित)से दुर्घटना में मृत 03 श्रमिकों के आश्रितों को ₹ 100000/- (एक लाख रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 300000/- (तीन लाख रूपए), 01 चिकित्सीय सहायता के मामले में ₹ 15000/- (पंद्रह हजार रूपए) एवं 06 श्रमिकों के स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत आश्रित को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) प्रति कामगार की दर से ₹ 180000/- (एक लाख अस्सी हजार रूपए) अर्थात् कुल राशि ₹ 495000/- (चार लाख पनचानवे हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम( संबंध )	जिलाधिकारी/ श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई.एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/निःशक्ता का खीरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० बंशी महतो, स्व० बिहारी महतो, अ० पि० वर्ग	श्रीमती चमेली देवी(पत्नी)	424/26.7.18	ग्रा०+पो०-खड़सारी, था०+प्र०+जि०-जमुई	343001100 31480	बिहार ग्रामीण बैंक, नारडीह, UCBAORRBKKG	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण व्यवसाय में कामगार मजदूर
2	स्व० नाथु मांझी, स्व० कारू मांझी, अनु० जाति	श्रीमती सोना देवी(पत्नी)	423/26.7.18	ग्रा०+पो०-खड़सारी, था०+प्र०+जि०-जमुई	503476284 39	इलाहाबाद बैंक, अमरथ, ALLA0211274	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
3	श्रीमती मालती देवी उर्फ माला देवी, श्री शंभू दास, अनु० जाति	स्वयं	422/26.7.18	ग्रा०-चाननटॉड, पो०-डुमरी, था०-सोनो, प्र०+जि०-जमुई	464210110 000314	बैंक ऑफ इंडिया, सोनो डुमरी, BKID0004642	₹ 15000/- (पंद्रह हजार रूपए)	चिकित्सीय सहायता, बोड़ी मजदूरी व्यवसाय में कामगार मजदूर
4	स्व० सहदेव यादव, श्री छक्कन यादव, पि० वर्ग	श्रीमती धनेश्वरी देवी(पत्नी)	421/26.7.18	ग्रा०+पो०-बाराजोर, था०+प्र०-झाझा, जमुई	344201100 93569	बिहार ग्रामीण बैंक, एकडारा, UCBAORRBKKG	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, भवन निर्माण व्यवसाय में कामगार मजदूर
5	स्व० कृष्णी देवी, पि० वर्ग	श्री रामेश्वर यादव(पति)	420/26.7.18	ग्रा०-सोहजाना, पो०+था०+प्र०-झाझा, जमुई	029101101 35013	यूको बैंक, झाझा, UCBA0000291	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, बोड़ी मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
6	स्व० सुखो मांझी, स्व० कारू मांझी, अनु० जाति	श्रीमती भापो देवी(पत्नी)	419/26.7.18	ग्रा०+पो०-खड़सारी, था०+प्र०+जि०-जमुई	343001100 47047	बिहार ग्रामीण बैंक, नारडीह, UCBAORRBKKG	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, भवन निर्माण व्यवसाय में कामगार मजदूर
7	स्व० देवेन्द्र साह, स्व० कपिल साह, अ० पि० वर्ग	श्रीमती रूबी देवी(पत्नी)	418/26.7.18	ग्रा०-सिकहरिया, पो०+था०+प्र०+जि०-जमुई	464510110 000847	बैंक ऑफ इंडिया, जमुई, BKID0004645	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, कृषक मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर
8	स्व० यदुनन्दन मिस्त्री, श्री विष्णु मिस्त्री, अ० पि० वर्ग	श्रीमती रानी देवी(पत्नी)	417/26.7.18	ग्रा०-सोहजाना, पो०+था०+प्र०-झाझा, जमुई	582210110 015505	बैंक ऑफ इंडिया, झाझा, BKID0005822	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कारपेन्टर व्यवसाय में कामगार मजदूर
9	स्व० अशोक माथुरी, श्री रोहन माथुरी, अ० पि० वर्ग	श्रीमती गीता देवी(पत्नी)	416/26.7.18	ग्रा०-सोहजाना, पो०+था०+प्र०-झाझा, जमुई	344201100 88169	बिहार ग्रामीण बैंक, एकडारा, UCBAORRBKKG	₹ 100000/- (एक लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, नारीयल एवं आईस्क्रीम बेचने का व्यवसाय में कामगार मजदूर
10	स्व० शीला देवी, पि० वर्ग	श्री आस्तिक कुमार(पति)	387/16.7.18	ग्रा०+पो०-दौलतपुर, था०+प्र०+जि०-जमुई	402101000 00199	बैंक ऑफ बड़ौदा, जमुई, BARBOJEMUIX	₹ 30000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूर व्यवसाय में कामगार मजदूर

कुल :- ₹ 495000/-

(चार लाख पनचानवे हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8)का भुगतान RTGS के माध्यम से कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-30/2018 के पृष्ठ-08/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(अजय कुमार सिंह)  
लिपिक

ह०/-  
(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-30/2018

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह०/-  
(अजय कुमार सिंह)  
लिपिक

ह०/-  
(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० सं०-30/2018-५०९

२५-०८-१८

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए/ लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 495000/- (चार लाख पनचानवे हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे/श्रम अधीक्षक, जमुई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/जिला पदाधिकारी, जमुई को उनके पत्रांक 387 दिनांक 16.7.18, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424 दिनांक 26.7.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित/आई०टी० मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग(विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/ प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

3/6/18  
25.08.18  
(अजय कुमार सिंह)  
लिपिक

6/8/18  
(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

25/08/18  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।